

(स्पोड पोस्ट)



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना-आमस,
जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और
तेतरिया, अंचल-आमस और शेरघाटी, जिला-गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन
कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में
मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना-आमस, जिला-गया द्वारा गया
मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और शेरघाटी,
जिला-गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 13.06.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई
का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना-आमस, जिला-गया
(गया मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और
शेरघाटी, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

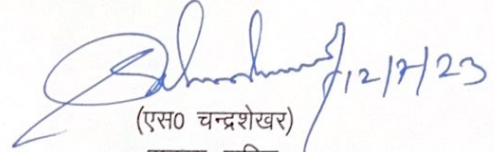
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1301

पटना, दिनांक :- 12/7/23

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक:
13.06.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के
वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 13.06.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी
एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो०: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०+थाना-आमस, जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और शेरघाटी, जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2289/2023, dated 14-02-2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और शेरघाटी, जिला-गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मोंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री नीरज कुमार, पिता: कृष्णदेव सिंह, ग्राम-कामत शेरधाटी, जिला-गया।	इनके द्वारा रोजगार एवं तापमान बढ़ रहा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़-पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही तापमान के बारे में बताया कि जगह-जगह पानी का व्यवस्था एवं पेड़-पौधों लगाये जायेगे, जिससे स्थानीय नागरीको को परेशानी नहीं हो। इसप्रकार श्री नीरज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री कमलेश कुमार, पिता: वाणा प्रसाद यादव, ग्राम-कामत, जिला-गया।	इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर सरकार क्या कारवाई कर रहा है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह सुनवाई बालू उत्खनन से संबंधित है, परन्तु पर्यावरण प्रदूषित न हो इस संबंध में बताया कि बालू लदे वाहनों के परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री कमलेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री अजीत कुमार, पिता: श्री किशोरी सिंह, ग्राम-कामत शेरधाटी, जिला-गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि अगर बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होता है, तो लेसी के द्वारा जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार बोरिंग का व्यवस्था किया जायेगा। इसप्रकार श्री अजीत कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री गोपाल जी, पिता: स्व० रामदास सिंह, ग्राम-आमस, जिला-गया।	इनके द्वारा जिला में पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है, तो उसमें खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्र में कितना खर्च किया जाता है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गया द्वारा बतलाया गया कि पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है वह स्थानीय जन-प्रतिनिधि/माननीय सांसद/माननीय विधायक के द्वारा अनुशासित कार्यों पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार खर्च किया जाता है। जैसाकि खनन कार्य से ग्रामीण सड़क खराब होने पर, नल-जल योजना में, खनन प्रभावित क्षेत्र के विधालयों में खर्च किया जाता है। इसप्रकार श्री गोपाल जी को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

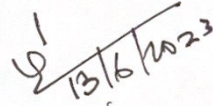
अध्यक्ष द्वारा स्थानीय नागरीकों से पूछा गया कि बालू उत्खनन के कारण नदी में पानी आता है या नहीं ? इस संबंध में उपस्थित स्थानीय नागरीको द्वारा बताया गया कि कभी-कभी पूर्व में नदी पानी नहीं आता था लेकिन बालू उत्खनन होने के कारण नदी का रास्ता बना है, तत्पश्चात् नदी में पानी आता है। इसप्रकार स्थानीय नागरीको ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



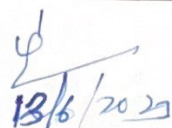
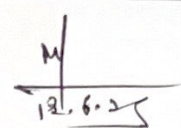
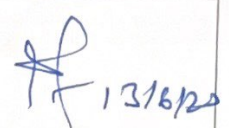
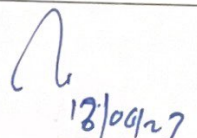
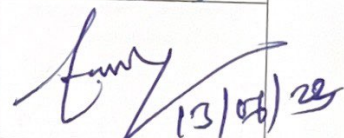
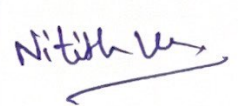
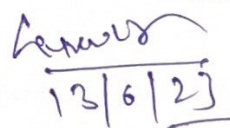
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गया



अपर समाहर्ता
गया

उपस्थिति सूची

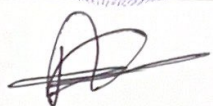
मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो० श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०+थाना-आमस, जिला-गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्या: 14, मौजा-चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और शेरघाटी, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय, स्वीकृति दिनांक: 13.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj Kumar ADM, Gaya		 13/6/2023
2.	Manikandan Krolingh	R.O, B.S.P.C. Dist Gaya	 13.6.23
3.	Sudwik Tiwari	Co, Shergauti	 13/6/23
4.	Amresh Kumar SDC cum Incharge RDO	Collectorate Gaya	 13/06/23
5.	Amit Kumar ✓ M-I	M-I WAA	 13/06/23
6.	Nitish Kumar	P&M Jot Cognizance Research India Pvt. Ltd.	 Nitish Kumar
7.	Harsh Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd	 13/6/23
8.	रंजन कुमार	ममार् जवा	रंजन कुमार 13-6-23
9.	Ravindra Kumar Singh	Vill+Po+PS -Amas Dist- Gaya	9973211541 Ravindra Kumar Singh

10.	Gopal Jee.	Amal. Gays. 8210977577	Gopal Jee.
11.	Komal Kant Kumar	Amal Gaya 8210960251	Komal Kant Kumar
12.	Kumar Jeshu Kumar	Vill - Komat Post Sheghhati Kamei	Kumar Jeshu 9939204823
13.	Niraj Kumar	Vill - Komat Sheghhati	Niraj 7799078396
14.	BABAN Bihadi	^{blwima.} Vill → Komat Sheghhati J. Gade	
15.	Rajiv Kumar	Vill - Komat Chitab Sheghhati ^{Khandi} Waga.	Rajiv Kumar
16.	RAJESH KUMAR	Vill - Komat	Rajesh Kumar
17.	Pinto - Kumar	Vill - Komat	Pinto Kumar
18.	Niranjan Kumar	Vill Jogapur	Niranjan
19.	Avishek Kumar	Vill - Komat	Avishek Kumar
20.	Sandeep Kumar	Vill - Komat	Sandeep K.

21.	पनसिंह	कमात	पनसिंह
22.	पद्मन कुमार	कमात	पद्मन कुमार
23.	Ajit Kumar	Vill. Kamat Sherghat	Ajit
24.	रजनीधर कुमार	कमात	रजनीधर कुमार
25.	KAMLESH KUMAR	KAMAT.	P. S.
26.	रविन्द्र पासवण	कमात	रविन्द्र
27.	पवन कुमार सिंह	कमात	पवन कुमार सिंह
28.	मनोप कुमार सिंह	कामस	मनोप कुमार सिंह
29.	Bijayesh Singh	Amas	Bijayesh Singh
30.	डिलीप सिंह	सोमोड विद्या	Dileep Singh
31.	Hemant Kumar	Vill. Amas	Hemant

mobile 7903431297

32.	मेध नकुमार	वेनपुर villager	मेध नकुमार
33.	हिरा	(कानात) villager	हिरा
34.	~~बबरी चौचरी~~	चिताबखुर्द, आग्रस जयपुर	
35.	अतुल कुमार बिहं	कठार	
36.	चंदन कृष्ण सिंह	कठार	Chander
37.	राजा कुमार	कठार	Raja
38.	Harishwarandhar Kathar	Kathar	Harish Kathar
39.	Golden Singh	Kathar	Golden Singh
40.	Arinash Kumar	Kathar	
41.			
42.			

लोक-सुनवाई की सूचना

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो०-श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०+धाना-आमस, जिला-गया-824219 (गया मोहर नदी बालू घाट-14, मोजा-चिताब खुर, कामत और तेतरिया, अंचल-आमस और रोहपाटी, जिला-गया झण्ड मोहर नदी के बालू घाट (Gaya SON-14) में बालू खनन परियोजना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 तथा संशोधित, के आलोक में परियोजना को TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक-सुनवाई की जाती है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें सम्भावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार को प्रति जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के अतिरिक्त बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, मुख्यालय, पटना के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्वद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर पर्वद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्वद के ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

दिनांक	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मोजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
13.06.2023	अपरह्न 02.00 बजे	आमस और रोहपाटी	चिताब खुर, कामत और तेतरिया	Gaya SON-14	अंचल - कार्यालय, रोहपाटी, जिला- गया।

सभी आम लोगों/संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

सदस्य-सचिव



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

दूरभाष नं० 0612-2261250/2262265, फेक्स - 0612-2261050

ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट - <http://bspcb.bihar.gov.in>

उत्तर कोयल नहर में जमे

उत्तर कोयल नहर में जमे
पानी से तोषों में आन्दोलन

एक दिवसीय सत्र में शामिल मध्यमप्रबंध के छात्रछात्रा • ३६५

[illegible]

नहीं मिला सुराग

[illegible]

दीकानेर नगर निगम
 सप्त विघ्न हर्त्र, कैलाश (अनवरुद्र) रोड - राजमहल, पोरा - ३३३०१, ३३३०२, ३३३०३, ३३३०४
 ईमेल: nagarpanchayat@nagarpanchayat.org, Web Site: www.dikaner.org
 मासिक / मा. / २०२३ / १२०१ - ३०४ वि.सं. - ४४ ०४ २०२३

डा. अरुण कुमार शर्मा (अध्यक्ष) का अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पूरा की गयी। डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि वे पूरा की गयी। डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि वे पूरा की गयी। डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि वे पूरा की गयी।

लोक-सुनवाई की सूचना

[illegible][illegible]

संख्या 12,345 की दो संख्याओं में से एक को 20% बढ़ाकर दूसरी संख्या को 20% घटाकर प्राप्त संख्या का मूल संख्या से प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।

गणपति म.
 विद्यालय, ज्ञान विद्यापीठ, पुणे-१५, महाराष्ट्र
 पत्र क्र. : १०००
 गणपति म. - १०००/१२
 पत्र क्र. : १०००
 गणपति

[illegible][illegible][illegible]

पुर्व माध्य रेल
मुम्बई
 १०-११/१२/२०१०/११/१२/२०१०
 १२/२०१०/११/१२/२०१०/१२/२०१०
 १२/२०१०/११/१२/२०१०/१२/२०१०

[illegible][illegible][illegible]

[Faint handwritten notes at the top of the page, partially obscured by a dark mark.]

